

यह निरीक्षण प्रतिवेदन डप्टी क मशनर (क.नि.) वाणज्यकर श्रीनगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय डप्टी क मशनर (क.नि.) वाणज्यकर श्रीनगर के माह 28.09.2015 (प्रारम्भ) से 03/17 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार श्री सराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 27.11.2017 से 01.12.2017 तक श्री एन. के. सन्हा व0 लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मक: इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री (नई इकाई) सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक - से - तक लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह - से - तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 28.09.2015 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 28.09.2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:

(ii)(अ) राजस्व ववरण:

वगत तीन वर्षों में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व
2014-15	-
2015-16	1313.75
2016-17	1442.71

(II) (ब) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

वर्ष	बजट आबंटन		व्यय		बचत	
	आयो जनाग त	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर
2014-15	-	-	-	-	-	-
2015-16	-	64,37,000.00	-	58,53,183.00	-	5,86,817.00
2016-17	-	1,14,60,000.00	-	1,04,69,049.00	-	9,90,951.00

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधक्य (+)	बचत (-)
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आबंटन इकाई द्वारा आहरण वतरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाईB... श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव- एडशनल- ज्वाइन्ट- डप्टी- सहायक आयुक्त- वाणज्य कर अधकारी

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा वध: लेखापरीक्षा में कर निर्धारण को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन डप्टी कमश्नर (क.नि.) वाणज्यकर श्रीनगर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) वस्तुत जांच हेतु माह का चयन :

व्यय: 03/2016, 08/2016 एवं 03/2017

राजस्व: मार्च 2017

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(viii) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 (ख)

प्रस्तर 01- इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिवर्स नहीं किया जाना ₹ 1.02 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 6(2) के अनुसार इनपुट टैक्स का लाभ जिसके लिए पंजीकृत व्यौहारी हकदार होगा, कर की वह धनराश होगी जो कर अवधि के दौरान, ऐसे प्रयोजन हेतु तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी कि इस धारा में निर्दिष्ट है। किए गए क्रय के क्रय धन पर पंजीकृत व्यौहारी द्वारा वक्रेता व्यौहारी को भुगतान किया गया है।

कार्यालय डप्टी कमिश्नर (क.नि.) वा.क. श्रीनगर गढ़वाल की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि व्यौहारी द्वारा वर्ष 2013-14 में ₹ 3,73,63,477/- के प्रारंभिक क्रय पर ₹ 33,35,564/- के आई.टी.सी का दावा किया गया था जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमन्य किया गया था। पत्रावली में संलग्न क्रय सूची की जाँच में पाया गया कि व्यौहारी द्वारा ₹ 12,11,644/- का क्रय रीयल फ्रुट जूस, मोबाइल, मसाला की 13.5% की दर से करते हुए ₹ 1,63,572/- के आई.टी.सी. का दावा किया गया था। चूँकि उक्त वर्णित वस्तु उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की अनुसूची-2 (ब) से आच्छादित है। अतः अन्तरीय कर दर 8.5% (13.5-5) से ₹ 1,02,990/- का आई.टी.सी रिवर्स योग्य होगा। साथ ही नियमानुसार अर्थदण्ड भी आरोपणीय होगा।

इस संबंध में इंगित किए जाने पर वभाग द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि जाँचोपरान्त कार्यवाही कर अवगत कराया जाएगा जिसकी लेखापरीक्षा में प्रतीक्षा रहेगी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (ख)

प्रस्तर 02- कर का न्यूनारोपण ₹ 0.74 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धत कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2) से सम्बन्धित अनुसूची III में कये गये प्रावधानों के अनुसार लकड़ी एवं प्रकाष्ठ की बिक्री पर 15% की दर से कर आरोपणीय होगा।

पुनः उक्त अधिनियम की धारा 4(2) के प्रावधानों के अनुसार अवर्गीकृत वस्तुओं की बिक्री पर 13.5% की दर से कर आरोपणीय होगा।

कार्यालय डप्टी क मशर (क.नि.) वा.क. श्रीनगर के अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में यह पाया गया क व्यौहारी सर्वश्री प्रभागीय वना धकारी, गढवाल वन प्रभाग, पौडी गढवाल कर निर्धारण वर्ष 2014-115 के बाद में व्यौहारी द्वारा संगत वर्ष में ₹ 6,74,576/- के प्रकाष्ठ की बिक्री पर 13.5% की दर से कर आरोपत कया गया था। जब क उस पर 15% की दर से कर आरोपत कया जाना चाहिये था।

इस प्रकार 1.5% के अन्तरीय दर से व्यौहारी के वरूद् ₹ 10,119/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय था।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगत कये जाने पर इकाई द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कये जाने का आश्वासन दिया गया।

इसी प्रकार व्यौहारी सर्वश्री गढवाल मण्डल बहुदेदीय संघ, पौडी गढवाल कर निर्धारण वर्ष- 2013-14 के वाद में व्यौहारी द्वारा संगत वर्ष में ₹ 7,56,043/- के टायर रिट्रेडिंग (Tyre retrading) की बिक्री की गई जिस पर 5% की दर से कर आरोपत कया गया जब क उक्त वस्तु अवर्गीकृत होने के कारण उस पर 13.5% की दर से कर आरोपणीय था।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगत कये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया क व्यौहारी द्वारा रबर की बिक्री की गई थी जो अनुसूची II (B) की प्रवष्टी सं. 96 से आच्छादित थी। उत्तर मान्य नहीं था क्यो क व्यौहारी द्वारा प्रस्तुत कये गये अपने संगत वर्ष के Trading & P/L AC के अनुसार व्यौहारी द्वारा Tyre retreading की बिक्री की गई थी जो व शष्ट रूप से प्रवष्टी सं. 96 से आच्छादित नहीं थी। इस प्रकार सम्बन्धित प्रकरण में 8.5% के अन्तरीय दर से ₹ 64,264/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय था।

प्रकरण वभाग के संज्ञान में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाया गया जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी।

क्रम सं.	व्यापारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष	माह	कर जमा करने की तिथि	RS/CT-110/2017-18 कर की धनराशि(₹)	आरोपणीय अर्थदण्ड(₹)
1.	सर्वश्री अलकनन्दा इण्डेन गैस सर्वस, श्रीनगर गढ़वाल टिन: 05004709181	2013-14	04/13	13.11.2013	28388	2838.8
			05/13	13.11.2013	4257	425.7
			06/13	13.11.2013	13089	1308.9
			07/13	13.11.2013	19794	1979.4
			08/13	13.11.2013	3717	371.7
			09/13	13.11.2013	11955	1195.5
			10/13	04.02.2014	15622	1562.2
			11/13	04.02.2014	12752	1275.2
			12/13	04.02.2014	16622	1662.2
			01/14	12.05.2014	36108	3610.8
2.	सर्वश्री कुमार एसो सरेट, काला रोड श्रीनगर टिन: 05007069676	2013-14	Q2 (JUL-SEP)	04.03.2014	50860	5086.0
			Q3 (OCT-DEC)	25.03.2014	53470	5347.0
3.	सर्वश्री आहूजा सेल्स, गोला बाजार, श्रीनगर टिन: 05007082965	2013-14	04/13	13.11.2013	31884	3188.4
			05/13	13.11.2013	36563	3656.3
			06/13	13.11.2013	80896	8089.6
			07/13	26.11.2013	90238	9023.8
			08/13	26.11.2013	106095	10609.5
			09/13	26.11.2013	61749	6174.9
			11/13	06.08.2014	26160	2616.0
			12/13	06.08.2014	28303	2830.3
			01/13	06.08.2014	39100	3910.0
			02/14	06.08.2014	50092	5009.2

			03/14	06.08.2014	90049	9004.9
4.	सर्वश्री बालाजी इस्ट्रीब्यूटर्स गोला बाजार श्रीनगर टिन: 05004728775	2013-14	06/13	06.01.2014	36847	3684.7
			03/14	28.11.2014	150493	15049.3
5.	सर्वश्री श्रीराम ज्वैलर्स, श्रीनगर टिन 05004960896	2013-14	05/13	27.11.2013	65986	6598.6
			06/13	27.11.2013	81241	8124.1
			07/13	19.12.2013	38007	3800.7
			08/13	19.12.2013	29634	2963.4
			09/13	19.12.2013	26286	2628.6
			10/13	20.01.2014	46718	4671.8
				योग	1436497/-	143649.7/-

भाग-2 (ख)

प्रस्तर 03- अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 2.39 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धत कर अधिनियम 2005 की धारा- 58(1)(VII) के अन्तर्गत कसी व्योहारी ने युक्ति-युक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है तो वह देय कर का कम से कम 10% कन्तु अधिक से अधिक 25% यदि कर 10 हजार रुपये तक हो और देय कर का 50% यदि कर 10 हजार रुपये से अधिक हो का दायी होगा।

डप्टी कमश्नर (क.नि.) वाणज्य कर श्रीनगर के अभलेखों के जाँच में पाया गया क 05 व्यापारियों द्वारा व भन्न माहो में देय कर की कुल राश ₹ 1,43,6497/- को वलंब से जमा किया था। (ववरण संलग्न)

अतः वलम्ब से जमा कर की राश पर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार ₹ 1,43,649.7/- का अर्थदण्ड आरोपणीय है।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगत कये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर अवगत कराने का आश्वासन दिया गया।

(iii) उत्तराखण्ड मूल्यवर्धत कर अधिनियम 2005 की धारा 58(1)(xi) के प्रावधानों के अनुसार आई.टी.सी. गलत दावे कये जाने पर न्यूनतम ₹ 5,000/- या दावाकृत आई.टी.सी. की तीन गुणा जो भी अधिक हो, अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

कार्यालय डप्टी कमश्नर (क.नि.) वा.क. श्रीनगर के अभलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में यह पाया गया क व्योहारी सर्वश्री मश्रा ट्रेडर्स, देवाल चमोली, कर निर्धारण वर्ष 2013-14 के वाद में व्योहारी द्वारा संगत वर्ष में सगरेट की खरीद पर ₹ 31,636/- की आई.टी.सी. का दावा किया गया था जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियमानुसार देय नहीं होने के कारण अस्वीकार किया गया था परन्तु इस प्रकार व्योहारी द्वारा गलत आई.टी.सी क्लेम कये जाने पर जिसके वरुध ₹ 94,908/- (31,636x3) का अर्थदण्ड आरोपणीय था जो नहीं किया गया।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगत कयो जाने पर इकाई द्वारा बताया गया क कर निर्धारण के दौरान ही दावत आई.टी.सी अस्वीकृत कर दिया गया था। अतः नियमानुसार कोई अर्थदण्ड आरोपणीय नहीं है।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि व्यौहारी द्वारा आई.टी.सी का गलत दावा किया गया था जब क नियमानुसार देय नहीं था। कर निर्धारण के समय पत्रावली की कर निर्धारण अधिकारी द्वारा समीक्षा कये जाने के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ था जिससे स्पष्ट था क व्यौहारी की मंशा आई.टी.सी का गलत लाभ लये जाने की थी। तथा प वैट अधिनियम की धारा 58 (1)(XI) के अनुसार अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

प्रकरण वभाग के संज्ञान में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाया गया।

भाग-2(ख)

प्रस्तर-04 कर एवं अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 21.82 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धक कर अधिनियम 2005 की धारा 58(1)(xiv) के अंतर्गत कोई व्यापारी गलत खाते व रजिस्टर रखता है अथवा प्रस्तुत करता है तो उसे कर की धनराश का न्यूनतम 50 प्रतिशत अर्थदण्ड का प्रावधान है।

कार्यालय डप्टी कमिश्नर (क.नि.) वाणज्य कर, श्रीनगर गढवाल की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया क व्यौहारी सर्वश्री एरिया मैनेजर, भारतीय खाद्य निगम, श्रीनगर गढवाल द्वारा वर्ष 2013-14 में 5% वाली वस्तु की व्यापारिक स्थिति निम्न प्रकार दर्शायी गयी थी

प्रारम्भिक रहतियाँ-	₹ 15,65,03,166/-
क्रय-	₹ 90,22,16,127/-
योग-	₹ 1,05,87,19,293/-
अंतिम रहतियाँ-	₹ 56,44,27,486/-
वक्रय होनी चाहिए थी-	₹ 49,42,91,807/-

व्यापारी द्वारा प्रस्तुत ववरणी के अनुसार वक्रय कया गया ₹ 45,06,51,823/-

अतः व्यौहारी द्वारा छिपायी गई बिक्री ₹ 4,36,39,984/-

अतः छिपायी गई बिक्री पर 5% की दर से 21,82,000/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय होगा। साथ ही नियमानुसार अर्थदण्ड भी आरोपणीय होगा।

इस संबंध में इंगत कए जाने पर वभाग द्वारा बताया गया क व्यौहारी के लेखों का समीक्षा सामूहिक रूप से कये जाने के कारण प्रथक रूप से प्रस्तुत नहीं कया जा सकता है। वभाग का उत्तर तर्क संगत नहीं है। अतः मान्य नहीं था।

अतः प्रकरण उच्चाधकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों का ववरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
प्रथम लेखापरीक्षा		

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों की अनुपालन आख्या : शून्य

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों का ववरण : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु डप्टी कमिश्नर (क.नि.) वाणज्यकर श्रीनगर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. सतत अनियमितताएं:
टिप्पणी- शून्य
3. लेखापरीक्षा अवध में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
(i)	श्री वजय कुमार	डप्टी कमिश्नर

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय डप्टी कमिश्नर (क.नि.) वाणज्यकर श्रीनगर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र